IV 37/66

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BH 068501

ट्रस्ट-विलेख

ट्रस्ट का नाम – डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद वेलफेयर ट्रस्ट

ट्रस्ट कोष – 11,000/–रू0

स्टॉम्प – 780/–रू0

780/500%

हम कि श्रीमती शशी मिश्रा पत्नी श्री सूर्यनारायण मिश्र निवासी ग्राम सकरौली, पोस्ट सकरौली वाया हाटा, तहसील हाटा, जिला कुशीनगर की हूँ।

......................मुख्य न्यासी (प्रबंधक)

Shashi Mishra

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BH 068502

हम न्यासी के मन मस्तिष्क में अपने व्यक्तिगत कार्यो के साथ–साथ राष्ट्र एवं समाज हित का चिन्तन बना रहता है हमारी हार्दिक इच्छा रही है कि समाज मे सुख शान्ति आपसी सदभाव सदाचार व शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आदर्श नागरिक गुणों की स्थापना हो। समाज के साधनहीन व्यक्तियों को जीवन की मूलभूति आवश्यकताए भोजन, शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य व आवास की व्यवस्था हो तथा शिक्षित बेरोजगारों को उनके योग्यता के अनुरूप तकनीकी एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर उन्हें रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाय। समाज के सामुदायिक विकास में परस्पर भाई–चारा साम्प्रदायिक ताल–मेल बनाये रखने एवं समाज को शिक्षित करने में लिंग भेद, जाति–पाति धर्म और सम्प्रदाय कही से भी बाधक न हो। मेघावी व प्रतिभा सम्पन्न छात्रों को अपने देश में अथवा देश के बाहर उच्च शिक्षा हेतु सहायता उपलब्ध कराया जाए जनहित के उक्त कार्यो को संचालित करने तथा उससे लोगों को अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न विधाओं में समाज को शिक्षित किए जाने की आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न संस्थाओं एवं समितियों का गठन किया जाना आवश्यक पाकर इसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए हमारे द्वारा एक कल्याणकारी न्यास/ट्रस्ट की स्थपना की जा रही है जिसका नाम **डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद वेलफेयर ट्रस्ट** होगा एवं ट्रस्ट का रजिस्टर्ड कार्यालय ग्राम सकरौली, पोस्ट सकरौली वाया हाटा, तहसील हाटा, जिला कुशीनगर का होगा। हम न्यासी ने इस हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के लिए मुवलिग 11000/–रूपया (ग्यारह हजार रूपया) मात्र का एक न्यास कोष स्थापित कर दिया है।

Shashi Mishra

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BH 068503

विधित हो कि आज की तिथि में उपरोक्त न्यास के पास कुल चल व अचल सम्पत्ति मालियत मुवलिग 11000/—रूपया (ग्यारह हजार रूपया) की है और आगे भी इस न्यास को उसमें विभिन्न उपयोग से धन की व्यवस्था करते रहेंगें। हम न्यासी ने अपने द्वारा स्थापित न्यास के प्रबंध एवं प्रशासन के बावत एक न्यास पत्र भी निष्पादित कर रहे है जिसमें निम्न रूपेण व्यवस्थाएँ है :—

1— यह कि हम न्यासी (प्रबंधक) द्वारा स्थापित न्यास का नाम **"डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद वेलफेयर ट्रस्ट"** ग्राम सकरौली, पोस्ट सकरौली वाया हाटा, तहसील हाटा, जिला कुशीनगर होगा जिसे इस न्यास पत्र मे आगे **"न्यास अथवा ट्रस्ट"** शब्द से सम्बोधित किया गया है।

2— यह कि हम न्यासी (प्रबंधक) द्वारा स्थापित उक्त न्यास का रजिस्ट्रर्ड कार्यालय ग्राम सकरौली, पोस्ट सकरौली वाया हाटा, तहसील हाटा, जिला कुशीनगर मे होगा। उक्त ट्रस्ट के कार्यो को सुचार रूप से सम्पादित करने तथा इसके उददेश्यों की सुगम प्राप्ति के बावत इसके अन्य कार्यालयों की भी स्थापना की जायेगी और उनके कार्यालयो के पते पर ट्रस्ट मजकूर द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं व समितियों का पंजीकरण सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कराया जा सकेगा। ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा तथा आवश्यकता पड़ने पर भारत के बाहर भी विधि पूर्ण कार्यो का संचालन किया जा सकेगा।

Shashi Mishra

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BH 068504

3– यह कि हम न्यासी ट्रस्ट मजकूर के संस्थापक प्रबंधक होंगें और हम न्यासी न्यास के उक्त पदों के लिए निर्धारित अधिकार एवं कर्तव्यों का प्रयोग कर न्यास की समुचित व्यवस्था करते रहेंगें। हम न्यासी द्वारा ट्रस्ट के संचालन व व्यवस्था के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों जो ट्रस्ट के उददेश्यों के अनुसार ट्रस्ट के हित मे ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप मे कार्य करने को सहमत है, को ट्रस्ट का ट्रस्टी नामित करती हूँ। भविष्य में हम न्यासी द्वारा ट्रस्ट के उददेश्यों की सुगम प्राप्ति हेतु अन्य ट्रस्टीयों की भी नियुक्ति की जा सकेगी हम न्यासी द्वारा नामित ट्रस्टीयों तथा मुख्य ट्रस्टी कों संयुक्त रूप से न्यास मण्डल/ट्रस्ट मण्डल कहा जायेगा। सदस्यों की कुल संख्या 07 से अधिक नही होगी। ट्रस्ट की स्थापना के समय हम न्यासी द्वारा ट्रस्टी के रूप में नामित व्यक्तियो का विवरण निम्नलिखित है :–

1– श्रीमती विद्यावती मिश्रा पत्नी डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद मिश्र निवासी ग्राम सकरौली, पोस्ट सकरौली वाया हाटा, तहसील हाटा, जिला कुशीनगर।

2– श्री उमेश मिश्र पुत्र श्री शिवपूजन मिश्र निवासी ग्राम सकरौली, पोस्ट सकरौली वाया हाटा, तहसील हाटा, जिला कुशीनगर।

3– श्रीमती रेखा मिश्रा पत्नी श्री उमेश मिश्रा निवासी ग्राम सकरौली, पोस्ट सकरौली वाया हाटा, तहसील हाटा, जिला कुशीनगर।

4– श्री सूर्यनारायण मिश्र पुत्र डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद मिश्र निवासी ग्राम सकरौली, पोस्ट सकरौली वाया हाटा, तहसील हाटा, जिला कुशीनगर।

Shashi Mishra

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BH 068505

5– श्रीमती सुधा तिवारी पत्नी श्री अखिलेश तिवारी निवासी मो0 बीरबहादुर पुरम् तहसील सदर, जिला गोरखपुर।

6– श्रीमती आभा मिश्रा पत्नी श्री राकेश कुमार मिश्र निवासी मो0 पुर्दिलपुर निकट मेनका टाकीज शहर गोरखपुर।

4– यह कि हम न्यासी (प्रबंधक) द्वारा "डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद वेलफेयर ट्रस्ट" ग्राम सकरौली, पोस्ट सकरौली वाया हाटा, तहसील हाटा, जिला कुशीनगर के नाम से जिस ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है उसके स्थापना का मुख्य उददेश्य निम्नलिखित है :–

(1) समाज के सभी वर्ग के बालक बालिकाओं के शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक आध्यात्मिक, चारित्रिक एवं बौद्धिक विकास के लिए प्राथमिक स्तर से लेकर जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल, इण्टर, डिग्री व पोस्ट ग्रेजुएट स्तर एवं विज्ञान एवं मैनेजमेन्ट, मेडिकल कालेज इन्जिनियरिंग कालेज, टेक्निकल, प्रोफेशनल कालेजो एवं लॉ कालेजो की शिक्षा की व्यवस्था करना एवं उसका संचालन करना ।

(2) शिक्षा की सुविधा प्रदान कर बालक एवं बालिकाओं को सच्चरित्र नागरिक बनाना व संस्था के माध्यम से बालक एवं बालिकाओं हेतु सी0बी0एस0सी0 बोर्ड/आई0सी0एस0ई0 पैट्र्न पर अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की स्थापना करना तथा भारत के नवयुवक एवं नवयुवतियों को मकैनिकल इलेक्ट्रिकल और सिविल ट्रेड के साथ ही व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हे प्लेसमेन्ट के आधार पर स्वरोजगार उपलब्ध कराना एवं रचनात्मक दिशा देने के लिए लघु उद्योगों, प्राविधिक शिक्षा, प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना एवं कम्प्यूटर शिक्षा से सम्बन्धित सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर का प्रशिक्षण देकर उन्हे

Shashi Mishra

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BH 068506

आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना तथा निर्बलों के उत्थान हेतु कम्प्यूटर शिक्षा एवं उपयोगी ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना तथा सामान्य जन में चेतना जागृत करना सर्वागीण विकास के लिए पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना करना।.

(3) श्री दुर्गा माता मन्दिर, श्री हनुमान जी, भगवान शंकर जी एवं गणेश जी, शनिदेव एवं नवग्रह आदि मंदिरो का निर्माण/जीर्णोधार एवं उसके विकास के लिए प्रयास करना एवं हिन्दू संस्कृति की रक्षा बसुधैय कुटुम्बकम की स्थापना करने के लिए प्रयास करना तथा अतिथि गृह, विवाह गृह का प्रबंध करना तथा समाज मे सुख शान्ति आपसी सदभावना व शिक्षा स्वास्थ्य एवं नागरिकों आदर्श गुणो की स्थापना करना तथा समाज के साधनहीन व्यक्तियों को जीवन की मूल भूत आवश्यकताऐं–भोजन शिक्षा आवास की निःशुल्क व्यवस्था करना ताकी शिक्षित बेरोजगारों को उनके योग्यता के अनुरूप तकनीकी एवं व्यावहारिक ज्ञान प्रदान कर उन्हे **"डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद वेलफेयर ट्रस्ट"** द्वारा रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना एवं जनहित में उक्त कार्यो को संचालित करने के लिए अधिकाधिक लाभ प्रदान करना तथा समाज के विभिन्न स्तर के लोगों से सहायता प्राप्त करना तथा विभिन्न संस्थाओ एवं समितियो का गठन करना तथा श्री हनुमान जी में राग–भोग दिया–बत्ती की समुचित व्यवस्था करना एवं आवश्यकतानुसार पुजारी, पंडित तथा सेवक की नियुक्ति करना तथा आगन्तुक साधु, महात्मा, बृद्व एवं विकलांग तथा निरीह लोगो की सुमुचित व्यवस्था समिति द्वारा करना एवं उनका साहायता करना एवं श्री हनुमान जी मन्दिर मे भजन कीर्तन, सत्संग एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमो का आयोजन करवाना तथा भण्डारा का व्यवस्था करना तथा दुर्गा माता मन्दिर में भगवती

Shashi Mishra

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BH 068507

जागरण व अन्य कार्यो को कराने की व्यवस्था करना तथा पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से दुर्गा माता मन्दिर का प्रचार प्रसार करना एवं लोगो में माता के प्रति जागरूक कराना ।

(4) धार्मिक विद्यालयों की स्थापना करना एवं उसका प्रचार–प्रसार करना तथा धार्मिक पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना करना एवं पर्यावरण की सुरक्षा हेतु जनमानस को सचेत करना एवं उसकी व्यवस्था करना तथा दुर्गा माता मन्दिर में गरीब बालक एवं बालिकाओ की निःशुल्क एक मण्डप में शादी–विवाह का अयोजन करवाना तथा अन्य संस्कारो का प्रबंध करना तथा शिक्षा का प्रचार–प्रसार करना और आम जनता में चेतना जागृत कर उन्हे शिक्षित एवं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर निर्भर बनाना तथा प्रतिभा सम्पन्न मेधावी छात्रों को देश–विदेश में उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक सहयोग करना।

(5) लिंग भेद जाति–पाति, छुआ–छूत, धर्म और सम्प्रदाय, ऊँच–नीच की भावना को समाप्त करने के लिए प्रशिक्षण/जागरूकता/सर्वे/लिट्रेचर आदि की व्यवस्था करना।

(6) शिक्षा प्रचार–प्रसार, उन्नयन तथा देश के किसी क्षेत्र में सामान्य शिक्षा तकनीकी गैर, तकनीकी शिक्षा, विधि शिक्षा, शिक्षा–प्रशिक्षण हेतु विद्यालय, महाविद्यालय स्थापित करना व उसका संचालन करना।

(7) समाज/स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए नर्सरी, प्राइमरी, माध्यमिक स्कूलों तथा डिग्री एवं पी0जी0 कालेज की स्थापना करना तथा आमदनी के श्रोत हेतु विद्यालय कम्पाउण्ड में दुकान व आवास का निर्माण करना।

Shashi Mishra

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BH 068508

(8) शैक्षणिक क्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं के कमजोर विद्यार्थियो के लिए अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे मेडिकल, इंजिनियरिंग, पालीटेक्निक, बैंक, पी0सी0एस0, आई0ए0एस0 में प्रवेश की तैयारी के लिए कोचिंग सेन्टरों की व्यवस्था तथा उसमें होने वाली आय से संस्था का पोषण करना।

(9) ट्रस्ट के प्रत्येक योजनाओं में महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुसार समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना तथा उनके न मिलने की दशा में सीट पुरूषो द्वारा भरा जा सकता है।

(10) अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं कमजोर वर्गो के लिए स्वरोजगार योजनाओं का प्रबंध करना, तथा उनके लिए शैक्षणिक क्षेत्र में कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कोचिंग की व्यवस्था करना।

(11) युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिये विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक ट्रेनिंग जैसे– सिलाई, कढाई, बुनाई, पेन्टिग, स्क्रीनिंग, इलेक्ट्रानिक, वायरमैन, डीजल एवं मोटर मैकेनिक, रेड़ियो एवं टी0वी0 ट्रेनिंग, टाइपिग, शार्टहैण्ड, कम्प्यूटर, फाइन आर्ट, संगीत इसके अतिरिक्त फल संरक्षण कुकिंग, बेकरी एवं मशरूम उद्योग प्रशिक्षण, डाइटिंग प्रशिक्षण आदि जैसे केन्द्रो की स्थापना/व्यवस्था तथा प्रबंधन करना आवश्यकतानुसार उनके लिये प्रशिक्षण कक्ष, पुस्तकालय अध्ययन कक्ष, छात्रावास, भोजन वस्त्र, दवा, यातायात, खेल का मैदान जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराना अन्य ट्रस्ट / सोसाइटी

Shashi Mishra

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BH 068511

/फर्म द्वारा चलाये जाने वाले विद्यालयों, महाविद्यालयों, तकनीकी विद्यालयों एवं कोचिंग संस्थानों के संचालन का कार्य करना।

(12) खाद्य प्रस्संकरण जैसे–जैम, जैली, मुरब्बा, अचार, केचप तथा अन्य फल संरक्षण का प्रशिक्षण देना।

(13) युवाओं के लिये विभिन्न प्रकार के अन्य उपयोगी प्रशिक्षण जैसे हैण्डी क्राफ्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुकिंग, कला, निबन्ध, व्याख्यान तथा खेल–कूद आदि का आयोजन, प्रतियोगिता तथा विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत करना भी ट्रस्ट का उद्देश्य है।

(14) विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना जैसे गूंगे, बहरे, अन्धो, अपंग, एवं मांनसिक रूप से कमजोर बच्चो, युवाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी वर्ग/गरीब बच्चो निराश्रित अनाथ बच्चों एवं युवाओं के लिए विद्यालय, छात्रावास एवं भोजन वस्त्र की निःशुल्क व्यवस्था करना एवं उन्हे आत्मनिर्भर बनाना आदि बिना लाभ–हानि के अन्य छात्रावासों का निमार्ण व उसकी समुचित व्यवस्था करना आदि।

(15) वृद्धो के लिए विश्राम केन्द्र अथवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना जिसमे मनोरंजन पढने लिखने एवं उन्हे खेलने की पूर्ण सुविधा हो।

(16) महिला संरक्षण गृह/विधवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना तथा उन्हे सरकारी सहायता दिलाना।

Shashi Mishra

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BH 068510

(17) सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढावा देना तथा आवश्यकतानुसार परामर्श केन्द्र, बरात घर, धर्मशाला, सुलभ शौचालय, चिकित्सा घर, पुस्तकालय, खेल मैदान, योगा प्रशिक्षण केन्द्र आंगनबाड़ी, बालबाड़ी, ड्रामा स्टेज प्रशिक्षण हाल एवं अन्य प्रशिक्षण संस्था की स्थापना एवं प्रबंध करना।

(18) सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्राइवेट व खाली पड़ी जमीन पर आर्थिक महत्व वाले पौधो को बडे पैमाने पर उगाना, वृक्षारोपण औषधियों एवं जड़ी बूटी वाले पौधो का उत्पादन

(19) खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के नियमों का पालन करते हुए उससे सम्बन्धित जनहित योजनाओं को लागू करना तथा स्वतः रोजगार के लिए बोर्ड से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के आर्थिक सहायता व अनुदान को स्वतः रोजगार हेतु जन–जन तक पहुँचाना।

(20) राष्ट्रीय एकता शिविर के द्वारा विशेषकर संवेदनशील एवं अति संवेदनशील राज्यो के लोगो में राष्ट्रीय एकता एवं समर्पण की भावना का विकास करना।

(21) विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों हेतु आधुनिकतम सुविधा के साथ प्रशिक्षण हाल की स्थापना करना, जिसमें विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी प्रशिक्षण सम्पादित हो सके जैसे यूनीसेफ, आई0सी0डी0एस0, नेहरू युवा केन्द्र, समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन करना।

(22) घरेलू ग्रामीण उद्योग को बढावा देने तथा युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिये डेयरी उद्योग, रेशम उद्योग, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन तथा इनसे सम्बन्धित

Shashi Mishra

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

29AA 885076

बीमारियों की जानकारी रोक–थाम, टीकाकरण के लिये युवाओं को प्रेरित/जागरूक/प्रशिक्षित एवं साधन सम्पन्न करना।

(23) नशा के सेवन से छुटकारा पाने के लिए नशा–मुक्ति निःशुल्क चिकित्सालय की व्यवस्था करना।

(24) समाज में व्याप्त बुराईयों जैसे अन्धविश्वास, बाल विवाह, दहेज–प्रथा, बाल–शोषण, बाल–श्रम, महिला–शोषण, लिंग–भेद, अस्पृश्यता, जाति–पाति एवं छुआ–छूत की भावना, स्वैछिक भावना के ह्रास को दूर करना तथा इसके लिये जागरूकता/प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

(25) युवाओं को प्रशिक्षित एवं जागरूक करना तथा आवश्यकतानुसार महिला उत्पीडन मुक्ति केन्द्र की स्थापना करना।

(26) सामूहिक विवाह तथा सामूहिक भोज को बढावा देना।

(27) विभिन्न प्रकार के खेलो को बढावा देना तथा प्रत्येक स्तर पर उनका प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता कराना।

(28) एड्स, कैंसर, हेपेटाइटिस जैसे रोगो की जानकारी/रोकथाम/नियंत्रण/जागरूकता/उपचार की व्यवस्था एवं सुविधा उवलब्ध कराना तथा जन सामान्य के लाभ हेतु डेण्टल कालेज होमियोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक मेडिकल कालेज व अन्य

Shashi Mishra

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

चिकित्सकीय/पैरामेडिकल महाविद्यालयों डीम्ड यूनिवर्सिटी तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना व उसका संचालन करना।

(29) सरकार की सहायता से गॉवो एवं शहारो के विकास हेतु पेयजल, शौचालय, नाली, सड़क निर्माण, पार्क, शिविर एवं भवन निर्माण की व्यवस्था करना।

(30) कृषि उद्योग को बढावा देने के लिये नये–नये वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग कराना तथा नये–नये शोधित बीजो को उगाने तथा उनसे सम्बन्धित बीमारियों की जानकारी देने अथवा दवा तथा सुरक्षा के लिये आम लोगो तथा किसानो का शिविर लगाकर उन्हे प्रेरित/जागरूक एवं प्रशिक्षित कराना।

(31) प्राकृतिक आपदा जैसे हैजा, प्लेग, भुखमरी, बाढ, आग, सूखा, अकाल, चक्रवात, भूकम्प, दुर्घटना की दशा में प्रभावित लोगो की सहायता करना।

(32) उन समस्त योजनाओं को क्रियान्वित करना जो समाज कल्याण हेतु राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा अनुदानित है तथा जिनको विभिन्न विभागों व एन0जी0ओ0 के माध्यम से चलाया जा रहा है।

(33) पंचायती राज एवं उपभोक्ता संरक्षण के बारे में जानकारी तथा अन्य सामान्य ज्ञान व कानूनी जागरूकता के लिये काउन्सिलिंग केन्द्रो की स्थापना करना।

(34) गरीब लोगो विशेषकर महिलाओं के कानूनी, सामाजिक, आर्थिक या चिकित्सकी सुविधा अथवा सहायता के लिये उपाय करना।

(35) सरकारी अथवा संस्था के किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिये सर्वे कार्य करना जिससे न्यास के उद्देश्य की पूर्ति होती है।

Shashi Mishra

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 29AA 885078

(36) किसी अन्य सरकारी अथवा एन0जी0ओ0 एसोसिएशन, ट्रस्ट के क्रियाकलापो में सहयोग देना जिनके उद्देश्य इस ट्रस्ट से मिलते हो।

(37) सरकारी तथा गैर सरकारी/लोगो/संस्थाओं/तंत्रो/कम्पनी/दुकानो से आर्थिक सहायता लेकर संस्था के उद्देश्य की पूर्ति करना।

(38) ट्रस्ट के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये इसके शाखा या इसके क्रियाकलापों को आवश्यकतानुसार अन्य जिला/प्रदेशों में स्थापित करना या फैलाना।

(39) सरकारी, अर्द्धसरकारी अथवा गैर सरकारी बैंकों से संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ऋण या सहायता प्राप्त करना तथा इनकी शर्तो की अनुपालन में न्यास की चल व अचल सम्पत्तियों को बंधक में देना।

5. ट्रस्ट मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्य :–

1– समान उद्देश्य की अन्य संस्थाओं व ट्रस्टो से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार व विदेशी संगठनो से सहायता प्राप्त करना।

2– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा इसके विभिन्न ईकाइयों को सुचारू व्यवस्था के लिये अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके लिये समितियों एवं उपसमितियों का गठन करना।

3– ट्रस्ट के अधीन संस्थाओं व समितियों के सुचारू रूप से संचालन के लिये अधिनियम के अनुसार उनकी अलग नियमावली तथा उप नियमो को बनाना।

Shashi Mishra

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

29AA 885079

4– ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व समितियों की सदस्यता के लिये विभिन्न प्रावधानों को लिखित रूप से तैयार करना तथा इसके लिये धन, सदस्यता शुल्क, दान, चन्दा इत्यादि प्राप्त करना उनकी प्रबंध इकाईयाँ गठित करना।

5– ट्रस्ट के अधीन चलने वाली संस्थाओं की व्यवस्था के लिये शुल्क प्राप्त करना तथा मेधावी छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना।

6– ट्रस्ट कर सम्पत्ति की देख–भाल करना तथा ट्रस्ट की सम्पत्ति को बढाने के लिये सतत प्रयास करना और आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट की सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना व अन्य प्रकार से उसकी व्यवस्था करना।

7– ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने तथा किन्ही आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालन के बावत गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था ट्रस्ट में निहित करना।

8– ट्रस्ट के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, विद्यालयो, शिक्षण केन्द्रो, चिकित्सालयों, शोध केन्द्रो, गौ–शालाओं व अन्य समस्त समितियों के लिये आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्ति कर्मचारियों के लिये आचरण नियमावली तैयार करना उनके हित में अन्य कार्यो को करना।

Shashi Mishra

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

29AA 885080

9– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये तथा ट्रस्ट द्वारा संचालन संस्थाओं के हित में व्यक्तियों संस्थाओं, सरकारी अर्द्ध सरकारी, गैर सरकारी, विभागो व विदेशी संगठनो से दान, उपहार, अनुदान, ऋण व अन्य श्रोतो से धन व सम्पत्तियों को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये खर्च करना।

10– ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति के लिये ट्रस्ट मण्डल द्वारा संकल्पित कार्यो को करना।

11– ट्रस्ट से सम्बन्धित आवश्यक विवरण प्रस्तुत कर ट्रस्ट का पंजीकरण आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कराना तथा उक्त अधिनियम की धारा 80–जी0 के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रस्ताव प्रेषित करना।

12– ट्रस्ट द्वारा स्थापित की जाने वाली शैक्षिक/तकनीकी/गैर तकनीकी विद्यालयों एवं डीम्ड यूनिवर्सिटी व इन्स्ट्च्यूट्स की मान्यता व सम्बद्धता के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकारी/परिनियमावली द्वारा निर्धारित आवश्यक कार्य करना।

Shashi Mishra

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

29AA 885081

5– ट्रस्ट की प्रबंध व्यवस्था :–

(क) ट्रस्ट का गठन एवं संचालन :–

1– ट्रस्ट का संचालन ही मुख्य ट्रस्टी (प्रबंधक) होगी। मुख्य ट्रस्टी (प्रबंधक) द्वारा अपने जीवनकाल में ही अगले मुख्य ट्रस्टी को नामित कर सकती है जो उनका विधिक वारिसान (पुत्र/पुत्री) होंगे इस प्रकार मुख्य ट्रस्टी अपनी वसीयत भी अगले मुख्य ट्रस्टी को नामित कर सकती है। यदि किन्ही परिस्थितियो में मुख्य ट्रस्टी की मृत्यु हो जाती है तो उनका उत्तराधिकारी विधिक वारिसान (पुत्र/पुत्री) नामित किये बिना ही हो जायेगा ।

2– मुख्य ट्रस्टी (प्रबंधक) की अनुपस्थिति, बीमारी या कार्य करने की अक्षमता की स्थिति में उसके द्वारा निर्धारित ट्रस्टी प्रत्यायोजन के आधार पर उसके कार्यो को निष्पादित करेगा।

3– मुख्य ट्रस्टी (प्रबंधक) किसी भी समय भी ट्रस्टी को पदच्युत करने में सक्षम होगी इस प्रकार पदच्युत न किये जाने पर आजीवन ट्रस्टी जीवन भर ट्रस्ट मण्डल का सदस्य बना रह सकेगा जबकि तदर्थ ट्रस्टी की कार्यवधि तीन वर्षो की होगी परन्तु उनकी पुनर्नियुक्ति पर कोई निर्बन्धन नही होगा।

Shashi Mishra

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 29AA 885082

4– ट्रस्ट मण्डल के किसी भी सदस्य के पदच्युत किये जाने व मृत्यु होने या त्यागपत्र देने अथवा ट्रस्ट विरोधी कार्य करने व पागल हो जाने पर तथा न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर तथा दीवालिया होने पर मुख्य ट्रस्टी (प्रबंधक) द्वारा आवश्यकतानुसार नये ट्रस्टी की नियुक्ति की जायेगी।

5– ट्रस्ट द्वारा संचालित शिक्षण या गैर–शिक्षण संस्थानो व संस्थाओ का संचालन मुख्य ट्रस्टी (प्रबंधक) के निर्देश के अनुसार उसके द्वारा नियुक्त या निर्दिष्ट व्यक्तियो द्वारा किया जायेगा।

6– ट्रस्ट अथवा ट्रस्ट के अंतर्गत किसी भी संख्या के कार्यो के लिये किसी भी व्यक्ति के द्वारा किये गये खर्चो तथा बिलो को औचित्य के आधार पर स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार मुख्य ट्रस्टी के पास होगा।

7– ट्रस्ट मंडल के किसी सदस्य द्वारा व्यक्तिगत क्षमता मे किये गये किसी कार्य के लिये ट्रस्ट या अन्य ट्रस्टियो का कोई दायित्व नही होगा।

ख) ट्रस्ट की बैठकें –

1– वर्ष मे कम से कम तीन बार ट्रस्ट मंडल की आम बैठक होगी इसमे ट्रस्ट मंडल के सभी सदस्यो के अतिरिक्त ट्रस्ट द्वारा स्थापित संस्थाओ व अन्य इकाइयो के वे सदस्य या पदाधिकारी जिन्हे बुलाया जायेगा, भाग लेगें। इस बैठक की सूचना न्यूनतम एक सप्ताह पहले मुख्य ट्रस्टी द्वारा संबन्धित व्यक्तियो को दे दी जायेगी।

Shashi Mishra

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH　　　　29AA 885083

2– ट्रस्ट की आम बैठक के अतिरिक्त मुख्य ट्रस्टी (प्रबंधक) किसी भी समय एक सप्ताह की पूर्वसूचना पर ट्रस्ट मंडल संबन्धित व्यक्तियो, संस्थाओ तथा इकाइयो की बैठक बुला सकेगी।

6)– ट्रस्ट मंडल के अधिकार एवं कर्तव्य–

1– समान उद्देश्य की अन्य संस्थाओ व ट्रस्टो से सहयोग एवं संमर्क स्थापित करना।

2– राज्य सरकार, केन्द्र सरकार तथा अय सरकारी, गैर–सरकारी सोतो से या व्यक्तियो से सहायता प्राप्त करना।

3– ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिये ट्रस्ट की गठित इकाइयो के रूप मे संस्थाओ इत्यादि की स्थापना करना।

4– ट्रस्ट के अधीन गठित संस्थाओ व अन्य इकाइयों की सदस्यता तथा अन्य विषयों के लिये नीति–निर्धारण करना तथा ऐसी संस्थाओ व अन्य इकाइयो इत्यादि की आवश्यकता के लिये धन तथा आय के श्रोतो का प्रबन्ध करना।

5– ट्रस्ट की संपत्ति की देखभाल करना तथा इसकी अभिवृद्धि के लिये प्रयास करना।

6– 1) ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति हेतु संस्थाओ के अतिरिक्त अन्य इकाइओ जैसे विद्यालयो, चिकित्सालयो, गौशालाओ, प्रशिक्षण केन्द्रों एवं अन्य सेवा केन्द्रों इत्यादि की स्थापना तथा संचालन करना।

Shashi Mishra

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

भारत सत्यमेव जयते INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 29AA 885084

2) ट्रस्ट की अधीनस्थ इकाइओ मे अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने तथा किन्हीं आकस्मिक परिस्थितियो मे उनके संचालन के लिये गठित समितियों को भंग कर उनकी समस्त व्यवस्था ट्रस्ट मे निहीत करना।

7– ट्रस्ट तथा ट्रस्ट की अधीनस्य संस्थाओ तथा अन्य इकाइयो की स्थापना तथा संचालन के लिये आवश्यक सभी कार्यो को निष्पादित करना तथा इसके लिये मुख्य ट्रस्टी (प्रबंधक) के निर्देशानुसार किसी व्यक्ति या विशेषज्ञ को सेवा इत्यादि के लिये अनुबंधित करना।

8– ब्याज, लाभान्स तथा आय न्यास कोष का वसूल करे तथा उससे वसूली करने का खर्च तथा अन्य अकस्मिक व्यय यदि कोई हो तो अदा करे।

9– ऐसे समाज की रचना करना जिसमें बिना किसी जाति विश्वास अथवा धर्म के भेद भाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान स्तर की उपलब्धि प्राप्त हो सके।

10– ट्रस्ट तथा ट्रस्ट की अधीनस्थ संस्थाओ तथा अन्य इकाइयो के संचालन या अन्य किसी अनिर्दिष्ट परिस्थितियो के उत्पन्न होने या निर्देश स्पष्ट न होने पर मुख्य ट्रस्टी (प्रबंधक) से निर्देश प्राप्त करना तथा ऐसे निर्देशो काअ सद्भावपूर्वक पालन करना।

7– क) मुख्य ट्रस्टी की शक्तियॉ –

1– मुख्य ट्रस्टी पूरे ट्रस्ट मंडल का प्रधान होगी। उसके निर्देश व निर्णय से ही ट्रस्ट की समस्त व्यवस्था संचालित की जायेगी।

Shashi Mishra

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

94AC 218220

2– मुख्य ट्रस्टी ही ट्रस्ट मंडल के सभी सदस्यो की नियुक्ति करेगी।

3– मुख्य ट्रस्टी, ट्रस्टी के हितो के विपरीत कार्य करने वाले किसी भी ट्रस्टी को पदच्युत करने मे सक्षम होगी।

4– ट्रस्ट के सुचारू संचालन के लिये मुख्य ट्रस्टी द्वारा किसी भी दायित्व का प्रत्यायोजन ट्रस्ट मंडल के किसी भी सदस्य या अन्य व्यक्ति को किया जा सकेगा।

5– मुख्य ट्रस्टी किसी भी दायित्व के साथ शक्तियॉ भी प्रत्यायोजित कर सकेगा परन्तु ऐसा प्रत्यायोजन सदैव लिखित होगा तथा वापस लिया जा सकेगा। इस संबंध मे मुख्य ट्रस्टी किसी कार्य विशेष या कार्यो की श्रृंखला के लिये किसी व्यक्ति या ट्रस्टी को ट्रस्ट की ओर से सविदा, संव्यवहार या सेवायोजन करने के लिए भी अधिकृत कर सकेगा। ऐसा अधिकृत व्यक्ति ट्रस्ट की ओर से मुख्य ट्रस्टी के निर्देशो के अधीन रहते हुए हस्ताक्षर इत्यादि भी कर सकेगा।

Shashi Mishra

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

94AC 218221

6– मुख्य ट्रस्टी (प्रबंधक) ट्रस्ट के लिये संपत्ति कय कर सकेगी तथा ट्रस्ट के हितो मे आवश्यक होने पर विकय या अन्तरित भी कर सकेगी।

7– मुख्य ट्रस्टी ही ट्रस्ट की अधीनस्थ, इकाइयो मे भी पदाधिकारियो, सदस्यो इत्यादि की नियुक्ति करेगी। ऐसी समस्त नियुक्तिया मुख्य ट्रस्टी (प्रबंधक) द्वारा आवश्यक समझे जाने पर निरस्त भी की जा सकेगी तथा ऐसे समस्त सदस्य, पदाधिकारी, संस्थाये व इकाइयॉ मुख्य ट्रस्टी के अधीन सदभाव पूर्वक कार्य निष्पादन करेगें। कार्य निष्पादन मे सदभावना या कार्यकुशलता का आभाव प्रतीत होने पर मुख्य ट्रस्टी द्वारा ऐसे सदस्यो,पदाधिकारियो, कर्मचारियों या अन्यथा नियोजित व्यक्तियो को किसी भी समय पदच्युत किया जा सकेगा।

Shashi Mishra

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

94AC 218222

8– मुख्य ट्रस्टी, ट्रस्ट तथा इसकी संस्थाओ व अन्य इकाइयो के संचालन के लिये नियम बनाना तथा संसोधित कर सकेगी।

9– ट्रस्ट, इसकी संस्थाओ व अन्य इकाइयो के कार्यकलापओं के सम्बन्ध में किसी अन्य अनिर्णय या विवाद की स्थिति मे मुख्य ट्रस्टी (प्रबंधक) का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

7– ख) मुख्य ट्रस्टी के कर्तव्य :–

1– ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी तथा ट्रस्ट द्वारा स्थापित सभी संस्थाओ व इकाइयो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रुवप मे कार्य करना।

2– ट्रस्ट की बैठके आहुत करना तथा इसकी पूर्व सूचना सभी संबन्धित व्यक्तियो को देना।

3– ट्रस्ट की कार्यवाहियो को लेखाबद्ध कराना।

4– ट्रस्ट की सभी चल–अचल संपत्तियो की रक्षा करना। इस हेतु अदवश्यक होने पर विधिक कार्यवाही करना तथा इस निमित्त परामर्स लेना, विलेख निष्पादित करना, किसी अधिवक्ता की सेवायें लेंना तथा ट्रस्ट की पैरवी करना।

5– ट्रस्ट की संपत्तियों में वृद्धि के लिये यथोचित प्रयास करना, इस निमित शेयर, ऋण पत्र,राष्ट्रिय बचत पत्र, सावधि जमा खाना इत्यादि में निवेश करना।

6– ट्रस्ट के लिये दान, सहायता अथवा अन्यथा प्राप्त धनराशि को प्राप्त करना तथा उसकी रसीद देना।

7– ट्रस्ट की बैठको की अध्यक्षयता करना ।

Shashi Mishra

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 94AC 218223

8– ट्रस्ट के समस्त आय–व्यय का लेखा रखना तथा लेखा परीक्षण कराना।

9– ट्रस्ट, इसकी अधीनस्थ संस्थाओ व अय इकाइयो के समुचित संचालन के लिये आवश्यक नियम बनाना।

10– ट्रस्ट तथा इसकी संस्थाओ ाव अन्य इकाइयो के लिये बनाये गये नियमो से ट्रस्ट मंडल को अवगत कराना।

11– इस विलेख द्वारा प्रतिबन्धो के अधीन न्यासीगण इस न्यास की सम्पत्ति से प्राप्त आमदनी से भारत तथा विदेश में इसके उद्देश्यो की पूर्ति हेतु खर्च करने के लिए उपयोग कर सकते है जहॉ तक की सम्भव हो वे इस बात को ध्यान में रखेगे की आयकर अधिनियम सन् 1961 की धारा (11) अथवा अन्य किसी समय–समय पर जारी अधिनियम के अधीन कर में छूट प्राप्त करके इस सम्पत्ति को हानी से बचा सके।

12– यदि ट्रस्ट मण्डल के कोष को भारत के बाहर निवेस करना हो तो इस आशय की अनुमति डायरेक्ट टैक्स की केन्द्रीय परिषद से पूर्व में प्राप्त कर ले।

13– न्यासीगण न्यास के उपयोम तथा लाभ हेतु यदि आवश्यकता हो जिससे न्यास का लाभ हो सके, के लिए किन्ही शर्तो पर जमानत देकर अथवा अन्य प्रकार से धन प्राप्त करे अथवा ऋण हासिल कर सकते है।

14– न्यासी किसी व्यक्ति, निगम, संस्था, राज्य एवं केन्द्रीय सरकार, किसी अन्य देश अथवा किसी अन्य न्यास से दान, अन्शदान, उपहार या भेट स्वीकर कर सकते है यह सब किसी भी रूप में स्वीकार किये जा सकते है चाहे वे किसी प्रकार की चल या अचल

Shashi Mishra

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

94AC 218224

सम्पत्ति हो परन्तु ऐसी किसी दान, अनुदान आदि को प्राप्त करने हेतु उसका कारण निधारित करने के लिए बिना मात्र अपने विवेक से नही स्वीकार करेगे ऐसी सभी सम्पत्तियॉ चल अथवा अचल इस प्रकार से प्राप्त होने के पश्चात वे या तो ट्रस्ट की सम्पत्ति का अंश होगी अथवा दानकर्ता की इच्छानुसार रहेगी ऐसे दान यदि स्वीकार कर लिए गये तो उनका विनियोग तथा निस्तारण न्यासियो के निर्णय के अनुसार इस विलेख के उपनियमो तथा शर्तो की सीमा के अन्दर ही सदा किया जायेगा।

8– ट्रस्ट का कोष :–

1– ट्रस्ट के कोष की सुचारू व्यवस्था के लिंये ट्रस्ट के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर में खाता खोला जायेगा जिसमे ट्रस्ट को प्राप्त होने वाली समस्त धनराशियॉ निहित होगी।

2– मुख्य ट्रस्टी द्वारा आवश्यक समझे जाने पर एक से अधिक खाते भी ट्रस्ट के नाम से खोले जा सकेगें।

3– ट्रस्ट के सभी खातो का संचालन मुख्य ट्रस्टी (प्रबंधक) श्रीमती शशी मिश्रा द्वारा अकेले हस्ताक्षर से किया जायेगा या आवश्यकता पड़ने पर मुख्य ट्रस्टी (प्रबंधक) श्रीमती शशी मिश्रा व ट्रस्ट मण्डल के किसी भी ट्रस्टी के संयुक्त हस्ताक्षरो से खाते का संचालन किया जायेगा। जहॉ तक की ऐसा करना सम्बंधित बैंक या डाकघर के नियमो मे अनुमन्य हो।

Shashi Mishra

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
दस रुपये
TEN RUPEES
रु.10
Rs.10
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
94AC 218225

4– मुख्य न्यासी सम्पत्तियो, देनदारियो तथा आमदनी व खर्च जो न्यास से सम्बन्धित हो का सही खाता का रख रखाव करायेगे तथा वर्ष में एक बार उसकी जॉच लेखा परीक्षण से करायेगे तथा उक्त खातो एवं बैलेन्सीट का सत्यापन किसी ऐसे चाटर्ड एकाउन्टेन्ड द्वारा किया जायेगा जिनकी नियुक्ति न्यासियो द्वारा तन्खाह पर अथवा अन्य रूप से की गई हो, कराया जावेगा ऐसे वार्षिक लेखा विवरण की लेखा परीक्षण न्यासियो द्वारा अंगींकृत एवं हस्ताक्षरित जैसे ही वे पूर्ण हो किया जावेगा।

9) ट्रस्ट की परिसंपत्तियॉ–ट्रस्ट की संपत्तियो की व्यवस्था निम्नलिखित रीति से की जायेगी–

1– ट्रस्ट के उद्देश्यो के कियान्वयन हेतु मुख्य ट्रस्ट (प्रबंधक) द्वारा व्यक्तियो, वित्तीय संस्थाओ, बैंको या संरकार से दान सहायता या ऋण लिया जा सकेगा। ट्रस्ट की आय बढाने के लिये किसी भी उचित व वैधानिक माध्यम से प्रयास किये जा सकेंगें। ट्रस्ट की आय के निम्नलिखित प्रमुख स्रोत होंगे –

1– देशी एवं विदेशी व्यक्तियों, संस्थाओ से दान, चंदा व ऋण।
2– सरकारी या गैर सरकारी अनुदान।
3– कृषि।

Shashi Mishra

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 94AC 218226

4– देशी एवं विदेशी बैंको, वित्तीय संस्थाओ व व्यक्तियो से ऋण।

5– फिक्स डिपाजिट, ऋण पत्रो से ब्याज, शेयर, म्युचुअल फंड, बांड्स इत्यादि से लाभांश।

6– भूमि, भवन, परिसर , वाहन या उपकरणो के किराये से आय।

7– कोई अन्य श्रोतो या ऐसा श्रोत जो ट्रस्ट के लिये उपयुक्त हो।

2– **मुख्य ट्रस्टी**, ट्रस्ट इसकी संस्थाओ व इकाइयो के कार्यो के लिये भूमि, भवन वाहन या आवश्यक उपकरण खरीद सकेगी या किसी चल–अचल संपत्ति के अधिग्रहण के लिये आवश्यक कार्यवाही कर सकेगी, मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट की संपत्तियों को किराये पर दे सकेगी या विक्रय कर सकेगी।

3– ट्रस्ट की संपत्तियो को नुकसान पहुॅचाने वाले को दंडित करने का अधिकार ट्रस्ट मंण्डल के मुख्य न्यासी (प्रबंधक) को प्राप्त होगा।

4– ट्रस्ट के अधीन स्थपित एवं संचालित संस्थाओ व अन्य इकाइयों के पदाधिकारियो की नियुक्ति तथा सेवा शर्तो के संबंध में मुख्य ट्रस्ट के कार्यो के लिये वैतनिक अथवा शुल्क–ग्राही कर्मचारियों या विशेषज्ञों की सेवाये ली जा सकेगी।

5– ट्रस्ट के अधीन किसी संस्था या इकाई में पद संबधी अथवा विवाद उत्पन्न होने पर मुख्य ट्रस्टी (प्रबंधक) का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा किसी न्यायालयीय विवाद की स्थिति में वाद लम्बित रहने तक ऐसी संस्था की परिसंपत्तियॉ ट्रस्ट में निहित रहेंगी।

Shashi Mishra

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

94AC 218227

6– ट्रस्ट द्वारा या ट्रस्ट के विरूद्ध किसी विधिक कार्यवाही का संचालन ट्रस्ट के नाम से किया जायेगा, मुख्य ट्रस्टी द्वारा या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जायेगी। मुख्य ट्रस्टी स्वयं या अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिवक्ता भी नियुक्त कर सकेगा।

7– ट्रस्ट के आय–व्यय व लेखा परीक्षा के लिये मुख्य ट्रस्टी द्वारा लेखा परीक्षक की नियुक्ति की जा सकेगी।

8– ट्रस्ट मण्डल, मुख्य ट्रस्टी के निर्देशानुसार वे सभी कार्य करेगा जो ट्रस्ट के लिये आवश्यक हो तथा ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति में सहायक हों।

10) ट्रस्ट के अभिलेख –

1– ट्रस्ट के अभिलेख तैयार कराने के दायित्व मुख्य ट्रस्टी का होगा इसके लिये मुख्य रूप से सूचना रजिस्टर, बैठक कार्यवाही रजिस्टर, संपत्ति रजिस्टर, लेखा रजिस्टर, मुख्य ट्रस्टी द्वारा जारी नियमावली का रजिस्टर इत्यादि सम्मिलित होंगे।

2– अभिलेख तैयार कराने के लिये मुख्य ट्रस्टी (प्रबंधक) द्वारा की जायेगी तथा मुख्य ट्रस्टी (प्रबंधक) अन्य व्यक्ति को अधिकृत कर सकेगी तथा वैतनिक कर्मचारियो की नियुक्ति कर सकेगी।

Shashi Mishra

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

94AC 218228

घोषणा

ट्रस्ट की ओर से मै श्रीमती शशी मिश्रा मुख्य ट्रस्टी के रूप में यह घोषित करती हूँ कि उपरोक्त न्यास पत्र लिखवाकर, पढ कर व समझ कर, स्वास्थ्य मन व चित्त से स्वेच्छा से निबंधन हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिससे कि इस न्यास का विधिवत गठन हो सके।

हस्ताक्षर साक्षीगण :

1– अजय पाण्डेय
पुत्र सहदेव पाण्डेय
ग्रा०व पो० सकरौली
हाटा कुशीनगर

2– दयाशंकर सिंह S/o
श्री पारस नाथ सिंह
ग्रा०व पो०– धरमपुर (हाटा)
जिला- कुशीनगर (उ०प्र०)

हस्ताक्षर मुख्य ट्रस्टी

Shashi Mishra
(श्रीमती शशी मिश्रा)

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

94AC 218229

Shashi Mishra

मजमूनकर्ता
Kamlesh Kumar. Advocate
(कमलेश कुमार एडवोकेट)
दीवानी कचहरी,गोरखपुर।
30.12.2016

टाइपकर्ता
(signature)
(रामबरन प्रसाद)
दीवानी कचहरी गोरखपुर।

DUPLICATE

भारत निर्वाचन आयोग
पहचान पत्र
ELECTION COMMISSION OF INDIA
IDENTITY CARD

FLC2224053

निर्वाचक का नाम : शशि
Elector's Name : Shashi
पति का नाम सूर्यनरायन
Husband's Name Suryanarayan
लिंग/ Sex : महिला / Female
जन्म की तारीख
Date Of Birth : XX/XX/1976

Shashi Mishra

FLC2224053

पता : 56, सकरौली , सकरौली

तहसील - हटा
जिला - कुशीनगर (उ.प्र.)-274203

Address : 56, Sakarauli , Sakarauli

Tehsil - Hata
Distt. Kushinagar (UP)-274203

Date : 30/07/2011

334-हटा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति

Facsimile Signature of
Electoral Registration Officer
for 334-Hata

292/319

पता बदलने पर, नये पते पर अपना नाम निर्वाचक-नामावली में दर्ज करवाने तथा उस पते पर इसी नम्बर का कार्ड पाने के लिए सम्बंधित फार्म में यह कार्ड नम्बर अवश्य लिखें

In case of change in address, mention this Card No. in the relevant Form for including your name in the roll at the changed address and to obtain the card with the same number

भारत निर्वाचन आयोग
पहचान पत्र
ELECTION COMMISSION OF INDIA
IDENTITY CARD

SOX1726751

निर्वाचक का नाम : अजय
Elector's Name : Ajay
पिता का नाम सहदेव
Father's Name Sahadev
लिंग/ Sex : पुरुष / Male
जन्म की तारीख
Date Of Birth : XX/XX/1985

अजय पाण्डेय

SOX1726751

पता : 56, सकरौली , सकरौली

तहसील - हाटा
जिला - कुशीनगर (उ.प्र.)-274203
Address : 56, Sakarauli , Sakarauli

Tehsil - Hata
Distt. Kushinagar(UP)-274203
Date : 19/08/2011
334-हाटा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति

Facsimile Signature of
Electoral Registration Officer
for 334-Hata 292/944

पता बदलने पर, नये पते पर अपना नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज करवाने तथा उस पते पर इसी नम्बर का कार्ड पाने के लिए सम्बंधित फार्म में यह कार्ड नम्बर अवश्य लिखें

In case of change in address, mention this Card No. in the relevant Form for including your name in the roll at the changed address and to obtain the card with the same number

भारत सरकार
Government of India

दयाशंकर सिंह
Dayashankar Singh
जन्म तिथि / DOB : 10/10/1976
पुरुष / Male

4169 2023 3926

आधार - आम आदमी का अधिकार

दयाशंकर सिंह

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of

पता:
आत्मज: पारस नाथ सिंह, 28, धरमपुर, धरमपुर, कुशीनगर, धर्मपुर, उत्तर प्रदेश, 274203

Address:
S/O: Paras Nath Singh, dharampur, Dharampur, Kushinagar, Dharmpur, Pradesh, 274203

4169 2023 3926

1947
1800 300 1947

help@uidai.gov.in

www